

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग - 2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

गुरुवार 18 नवम्बर, 2004/ 27 कार्तिक, 1926 (शक)

संख्या : 64

सदस्यों की गिरफ्तारी व रिहाई

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली के नाम, उपायुक्त पुलिस, मध्य ज़िला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

" मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1998 की धारा-65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देना मेरा कर्तव्य था कि दिल्ली विधान सभा के सदस्य श्री राम बाबू शर्मा को दिल्ली विद्युत बोर्ड के 118 पूर्व कर्मचारियों के साथ प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया जाये।"

तदनुसार श्री राम बाबू शर्मा, विधायक को दिनांक 29-10-2004 को 2-10 बजे (अपराह्न) गिरफ्तार किया गया, उसी दिन यानी 29-10-2004 को 2-40 बजे (अपराह्न) रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART-II**

(General information relating to Legislative & other matters)

Thursday 18th November 2004 / 27 Karthik 1926 (Saka)

No. 64

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy. Commissioner of Police, Central District, Delhi :

"I have the honour to inform you that I have found it my duty in the exercise of my power under Section 65 of the Delhi Police Act, 1978 to direct that Sh. Ram babu Sharma, Member of the Legislative Assembly of the Capital be detained for taking out demonstration alongwith 118 Ex. Employees of Delhi Vidyut Board."

Shri Rambabu Sharma, MLA was accordingly detained at 2.10 P.M on 29.10.2004 and was released at 2.40PM on the same date i.e. 29.10.2004

SIDDHARATH RAO
SECRETARY